

प्रेषण

श्री ज्ञानोदय गाँगुली,
संग्रहालय संघिय,
उत्तर प्रदेश गाँगुली ।

तेवा मे.

संविचार
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
गाँगुली केन्द्र २ अमृदाप फैन्ड
प्रीति विद्यार नई दिल्ली ।

शिक्षा १७१ अनुदान

तारनक: दिनांक: २५ अक्टूबर, १९९६

विषय:- केन्द्र बोर्ड गाँगुली राज्यसभा लोनमट्ट दो ली०धी०स्त०र्हि नई दिल्ली से तम्बूता

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि तेन्ट बोर्ड गाँगुली
राज्यसभा लोनमट्ट दो ली०धी०स्त०र्हि नई दिल्ली से तम्बूता प्रदान किये जाने में ज्ञान
राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत लोताइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध तमिति में शिक्षा निर्देशक द्वारा नामित एवं
नियुक्त होवा ।
- 3- विद्यालय में कम से कम दो प्राचिकार तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित
जनजाति के विद्यार्थी के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक
शिक्षा परिषद् द्वारा तंदानित विद्यालयों में विभिन्न व्यावर्त्तों के लिए
निर्धारित ग्रन्थि के अधिक ग्रन्थि नहीं लिया जायेगा ।
- 4- तंदाना द्वारा राज्य सरकार से जिसी अनुदान की मांग नहीं ही जाएगी
और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ने वेतिह शिक्षा
परिषद् है मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की तम्बूता केन्द्रीय
माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेतिह कार फि इण्डियन स्कूल एंड फिलेक
डिक्षानियन नई दिल्ली है प्राप्त होती है तो उत परीक्षा परिषद्दों से
तम्बूता प्राप्त होने की तिथि है परिषद् ने मान्यता तथा राज्य सरकार
से अनुदान स्वातः समाप्त हो जायेगी ।
- 5- तंदाना को वैधिक रूप सिद्ध तत्त्व कर्मवारियों को राज्यीय तहांसता प्राप्त
सिद्धि तंदाना के कर्मवारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों
से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 6- कर्मवारियों की तेवा शर्तों का जायेगी और उन्हें तम्बूता प्राप्त
ज्ञानालयीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मवारियों की अनुमन्य तेवा
निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

7- राज्य सरकार द्वारा तम्ही सम्बद्ध पर जो भी आदेश निर्गत किए जाएंगे, तेस्वा उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकॉर्ड निर्धारित प्रवर्ष/विज्ञानों में रहा जाएगा ।

9- उसका शास्त्रों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना लोड परिवर्तन/तंशीधन पा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

2- उसका प्रतिबन्धों का पालन करना हेतु विद्यालय होगा और यदि किसी तम्ही वह पापा जाता है कि संत्या द्वारा उसका प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तबका पालन करेने में किसी प्रकार की दूक या किसिता भरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त के लिया जाएगा ।

प्राप्ति,

मण्डीय,

इसका किसके पर इसे पढ़ने के लिए हाथ
उत्तराधीन नहीं की जाएगी किंतु उसकी के लिए
अगोक गोमली।
तथुक्त तर्जिव।

पृष्ठी 3470 || 1/15-7-1996 तद्दिनोङ्क

प्रतिलिपि निम्नलिखित हो सूचनार्थ स्वीकार्यक आधारक आधारी द्वेष प्रभित :-

1- निर्धा निर्देशक, उत्तर प्रदेश, तर्फ़नऊ ।

2- क्रष्णलीय तंत्रज्ञन निर्धा निर्देशक, वाराणसी ।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक, तोनम्भु ।

4- निरीक्षक, उत्तर भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश, तर्फ़नऊ ।

5- प्रबन्धक, लेन्ट बोर्ड रद्दूल रावलीगंज तोनम्भु ।

आठा है,

निर्धा
अगोक गोमली।
तथुक्त तर्जिव।

5- तर्फ़नऊ की निर्धा की तरफ़ द्वारा निर्धारित विद्यालयों के विद्यार्थी विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय तथा उपर नहीं करते ।

6- उत्तराधीन विद्यालयों के विद्यार्थी विद्यार्थियों के लिए एक विद्यालय तथा उपर नहीं करते ।